

11/3/24

उपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में कोई आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नू से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

*[Handwritten signature]*